

प्रारंभिक परीक्षा

सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SMFCL)

संदर्भ

सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SMFCL) को भारत की पहली समुद्री क्षेत्र-विशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) के रूप में स्थापित किया गया है।

SMFCL क्या है?

- यह बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) के तहत एक मिनी रत्न श्रेणी-I केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) है।
- यह एक विशेष गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) के रूप में काम करती है जो पूरी तरह से भारत के समुद्री क्षेत्र की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने पर केंद्रित है।
- मुख्यालय: नई दिल्ली।
- उद्देश्य:
 - समुद्री बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक में वित्तपोषण अंतराल को दूर करना।
 - क्षेत्र के एमएसएमई, स्टार्टअप और शैक्षणिक संस्थानों के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।
 - जहाज निर्माण, कूज पर्यटन और हरित ऊर्जा जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों को समर्थन प्रदान करना।
 - अमृत काल विजन 2047 में उल्लिखित वैश्विक समुद्री नेतृत्व की भारत की महत्वाकांक्षा में योगदान देना।
- कार्य: बंदरगाह प्राधिकरणों, लॉजिस्टिक्स फर्मों और समुद्री उद्यमियों को अल्पावधि, मध्यमावधि और दीर्घकालिक ऋण सुविधाएं प्रदान करना।
 - हरित हाइड्रोजन पहल, जहाज निर्माण और बंदरगाहों के डिजिटलीकरण जैसी नवीन परियोजनाओं को वित्तपोषित करना।
 - बंदरगाह एवं संबद्ध बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए वित्तीय उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना।
 - समुद्री कौशल विकास और अनुसंधान एवं विकास के वित्तपोषण के लिए स्टार्टअप और अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग करना।

NBFC (गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां) क्या हैं?

- NBFC वित्तीय संस्थाएं हैं जो बैंक जैसी सेवाएं प्रदान करती हैं लेकिन उनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है।
- वे मांग जमा (बचत खातों की तरह) स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन ऋण, परिसंपत्ति वित्तपोषण और निवेश सेवाएं प्रदान करते हैं।
- NBFC के प्रकार:
 - परिसंपत्ति-देयता संरचनाओं के आधार पर: जमा स्वीकार करने वाली NBFC (NBFC-D) और जमा न स्वीकार करने वाली NBFC (NBFC-ND)।
 - प्रणालीगत महत्व के आधार पर: जमा न लेने वाली NBFC में, जिनकी परिसंपत्ति का आकार 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, उन्हें जमा

REGULATION OF FINANCIAL INSTITUTIONS	
Type of Institution	Regulatory Authority
NBFCs registered with RBI	RBI
Housing Finance Institutions	National Housing Bank
Merchant Banking Companies, Venture Capital Funds, Stock Broking, Collective Investment Schemes (CIS)	SEBI
Nidhi Companies, Mutual Benefit Companies	Ministry of Corporate Affairs (MCA)
Chit Fund Companies	State Government
Insurance Companies	IRDAI
Non-Banking Non-Financial Companies	Statute: Companies Act 1956 Regulator: Ministry of Corporate Affairs Enforcement Agency

न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण NBFC (NBFC-ND-SI) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

बैंकों और NBFC के बीच अंतर

पहलू	बैंक	NBFC
जमा	सभी प्रकार की जमाराशि स्वीकार करता है	मांग जमा स्वीकार नहीं किया जा सकता
DICGC का जमा बीमा	लागू (5 लाख रुपये तक)	लागू नहीं
आरबीआई की भुगतान और निपटान प्रणाली	आरटीजीएस, एनईएफटी आदि का समर्थन करता है।	समर्थित नहीं है। चेक जारी नहीं किए जा सकते।
विदेशी निवेश (FDI)	74% तक	100% तक (स्वचालित रूट के अंतर्गत)
नकद आरक्षित आवश्यकता (CRR)	लागू	लागू नहीं
पूंजी पर्याप्तता मानदंड	लागू	केवल जमा स्वीकार करने वाली NBFC और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण NBFC (CRAR-15%) पर लागू
वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)	लागू	केवल जमा स्वीकार करने वाली NBFC पर लागू (SLR-15%)
के तहत स्थापित	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949	कंपनी अधिनियम के तहत स्थापित और श्रेणी के आधार पर विभिन्न निकायों द्वारा विनियमित।

स्रोत: [Business Line](#)

ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन(GAVI)

संदर्भ

स्वास्थ्य सचिव रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर के नेतृत्व में अमेरिका ने वैश्विक वैक्सीन गठबंधन 'GAVI' से वित्तीय सहायता वापस ले ली है, जिससे वैश्विक चिंता उत्पन्न हो गई है। यह निर्णय बाल टीकाकरण प्रयासों को खतरे में डाल सकता है और इससे दस लाख से अधिक रोके जा सकने वाली मौतें हो सकती हैं।

ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन(GAVI) के बारे में -

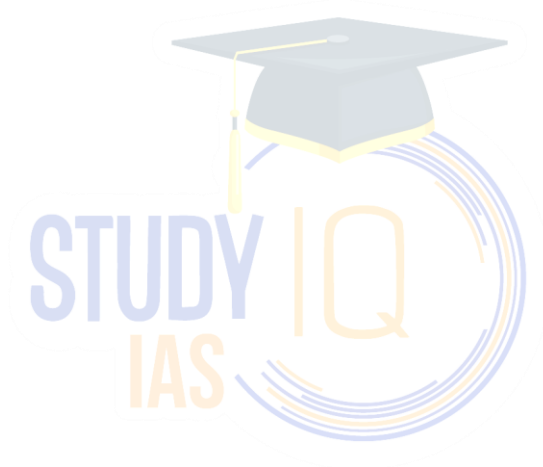
- 2000 में स्थापित GAVI एक स्वतंत्र सार्वजनिक-निजी साझेदारी है जिसका उद्देश्य दुनिया के सबसे गरीब देशों में बच्चों के लिए नए और कम उपयोग किए जाने वाले टीकों तक पहुंच में सुधार करना है।
- इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और यह दुनिया भर में समान वैक्सीन पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को एकजुट करता है।
- GAVI के साझेदारों में शामिल हैं:
 - विकासशील एवं दाता देश की सरकारें
 - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)
 - यूनिसेफ
 - विश्व बैंक
 - वैक्सीन निर्माता
 - अनुसंधान और तकनीकी एजेंसियां
 - नागरिक समाज संगठन
 - निजी परोपकारी
- GAVI प्रदान करता है:
 - निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों को वित्तीय सहायता एवं तकनीकी सहायता,
 - बाज़ार को आकार देने वाली रणनीतियाँ, जैसे कि वैक्सीन की कीमतें कम करने के लिए निर्माताओं के साथ बातचीत करना,
 - जीवन रक्षक टीकों की शुरूआत और वितरण के लिए समर्थन।
- गठबंधन में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - वैश्विक विकास क्षेत्र की तकनीकी विशेषज्ञता
 - निजी क्षेत्र की व्यावसायिक दक्षता, सभी वैश्विक टीकाकरण में सुधार के साझा मिशन के लिए।
- प्रमुख उपलब्धियाँ (2023 तक):
 - 1.1 अरब से अधिक बच्चों का टीकाकरण
 - लगभग 18.8 मिलियन लोगों की जान बचाई गई
- GAVI ने COVAX में अग्रणी भूमिका निभाई, जो एक वैश्विक पहल (2020-2023) है जिसका उद्देश्य विभिन्न देशों में कोविड-19 टीकों का उचित वितरण सुनिश्चित करना है।

वैश्विक गठबंधनों से अमेरिका के हटने का प्रभाव -

- बहुपक्षवाद और नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था का क्षरण: इस वापसी से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक संस्थाओं की विश्वसनीयता कमजोर होती है। उदाहरण के लिए, इज़राइल ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से भी खुद को अलग कर लिया, जो बहुपक्षीय मंचों में विश्वास में गिरावट को दर्शाता है।
- वैश्विक जलवायु पहल को झटका: 2024 को अब तक का सबसे गर्म वर्ष माना गया है और अमेरिका, चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक है, ऐसे में इसका अलग होना सामूहिक जलवायु कार्रवाई प्रयासों को कमजोर करता है।

- **स्वास्थ्य वित्त पोषण संकट:** वैश्विक स्वास्थ्य में अमेरिका एक प्रमुख वित्तीय भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, इसने 2024 में WHO के कुल वित्त पोषण का लगभग 15% योगदान दिया। इसके वापस लेने से महत्वपूर्ण वित्तीय कमी हो सकती है, जिससे आवश्यक स्वास्थ्य कार्यक्रम बाधित हो सकते हैं।
- **भू-राजनीतिक परिणाम:** अमेरिकी नेतृत्व की अनुपस्थिति एक शून्यता पैदा करती है जिसका चीन फायदा उठा सकता है, जिससे वैश्विक संस्थाओं में उसका प्रभाव लोकतांत्रिक मूल्यों से हट सकता है - जिससे भारत जैसे देशों की रणनीतिक स्थिति और निर्णय लेने की शक्ति प्रभावित हो सकती है।

स्रोत: [ABCnews](#)



अमृत मिशन के 10 वर्ष

संदर्भ

कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (AMRUT) ने 25 जून, 2025 को अपने शुभारंभ के 10 वर्ष पूरे कर एक प्रमुख मील का पत्थर हासिल कर लिया है।

अमृत मिशन के 10 वर्ष -

- 25 जून 2015 को शुरू की गई अमृत योजना भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना है।
- इसका लक्ष्य शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और चयनित शहरों और कस्बों में जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।
- इसमें समावेशिता और स्थिरता पर जोर देते हुए जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी गतिशीलता और हरित स्थान जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

अमृत के उद्देश्य -

- **जल और सीवरेज तक सार्वभौमिक पहुंच:** यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक शहरी घर में कार्यात्मक नल जल और सीवर कनेक्शन हो।
- **बेहतर शहरी जीवन-यापन:** पार्कों, हरित स्थानों और गैर-मोटर चालित परिवहन प्रणालियों के साथ शहर के वातावरण को बेहतर बनाना।
- **प्रदूषण नियंत्रण:** प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए टिकाऊ परिवहन और अपशिष्ट प्रबंधन को प्रोत्साहित करना।
- **समावेशी विकास:** आवश्यक सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करके शहरी गरीबों और वंचित वर्गों की जरूरतों को पूरा करना।

मुख्य विशेषताएं और फोकस क्षेत्र -

- **जल आपूर्ति:** सार्वभौमिक नल जल कवरेज प्राप्त करने के लिए विस्तार और पुनर्वास।
- **सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन:** सीवर कनेक्टिविटी बढ़ाना और मल कीचड़ प्रबंधन का समर्थन करना।
- **वर्षा जल निकासी:** शहरी बाढ़ और जलभराव से निपटने के लिए प्रणालियाँ विकसित करना।
- **हरित स्थान और पार्क:** बच्चों और बुजुर्गों के अनुकूल पार्क विकसित करने के लिए परियोजना लागत का 2.5% तक आबंटित करना।
- **गैर-मोटर चालित परिवहन:** यातायात और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पैदल चलने और साइकिल चलाने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना।

वित्तीय परिव्यय और कार्यान्वयन -

- **कुल निवेश:** राज्य वार्षिक कार्य योजना (SAAP) के अंतर्गत 77,640 करोड़ रुपये स्वीकृत।
- **केन्द्रीय सहायता:** भारत सरकार द्वारा ₹35,990 करोड़ की प्रतिबद्धता।
- **परियोजनाएं:**
 - 82,222 करोड़ रुपये की लागत की 5,800 से अधिक परियोजनाएं शुरू की गईं।
 - 4,600 से अधिक परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की गईं।
- **कवरेज:**
 - शुरुआत में इसमें 500 शहर शामिल थे, अब इसे बढ़ाकर अमृत 2.0 के अंतर्गत सभी शहरी स्थानीय निकायों (ULB) को शामिल कर लिया गया है।
- **मुख्य सफलताएँ:**
 - 134 लाख जल नल कनेक्शन प्रदान किये गए।
 - 102 लाख सीवर कनेक्शन स्थापित किए गए, सार्वभौमिक सेवा कवरेज की ओर कदम बढ़ाया गया।

स्रोत: [DDNews](#)

ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट (Operation Deep Manifest)

संदर्भ

'ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट' के तहत राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने 9 करोड़ रुपये मूल्य का पाकिस्तानी सामान जब्त किया है।

ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट के बारे में -

- राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा एक लक्षित प्रवर्तन अभियान।
- भारत में प्रतिबंधित पाकिस्तानी मूल के सामानों की तस्करी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अवैध व्यापार मार्गों का पता लगाना और उन्हें नष्ट करना है।

द्वारा लॉन्च किया गया -

- राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI)
- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC), वित्त मंत्रालय के अधीन।

उद्देश्य -

- पाकिस्तान से वस्तुओं के आयात पर भारत के व्यापक प्रतिबंध को लागू करना।
- तीसरे देश के ट्रांसशिपमेंट मार्गों के माध्यम से आर्थिक घुसपैठ को रोकना।

प्रमुख विशेषताएँ -

- कंटेनर निगरानी:
 - 1,115 मीट्रिक टन माल ले जा रहे 39 कंटेनरों को रोका गया, जिन्हें झूठे तरीके से यूआई मूल का घोषित किया गया था।
- दस्तावेज़ फोरेंसिक:
 - शिपिंग रिकॉर्ड की जांच की गई और झूठी घोषणाओं, कंटेनर स्वेप और दुबई के जेबेल अली पोर्ट के माध्यम से दोहरे बंदरगाह रूटिंग का खुलासा किया गया।
- वित्तीय खुफिया:
 - पाकिस्तानी संस्थाओं और संयुक्त अरब अमीरात में उनके सहयोगियों से जुड़े धन प्रवाह का पता लगाया गया।
- प्रवर्तन परिणाम:
 - एक आयातक फर्म के प्रमुख साझेदार को गिरफ्तार किया गया।
 - व्यापक आपराधिक और वित्तीय जांच शुरू की गई।

महत्व -

- शत्रुतापूर्ण व्यापार नेटवर्क को बाधित करके राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा की रक्षा करना।
- यह आतंकवादी घटनाओं के बाद भारत की शून्य सहनशीलता की नीति को दर्शाता है।
- डेटा एनालिटिक्स और एआई-संचालित सीमा शुल्क प्रवर्तन का लाभ उठाने में डीआरआई की क्षमता को प्रदर्शित करता है।
- यह तीसरे देश के पुनर्निर्देशन के विरुद्ध निवारक के रूप में कार्य करता है, जो व्यापार प्रतिबंधों को दरकिनार करने का एक सामान्य तरीका है।

स्रोत: [DDNews](#)

‘टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व्स’

संदर्भ

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने ‘टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व्स’ (TOTR) पायलट योजना के लिए वित्त पोषण को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य निर्दिष्ट रिजर्वों के बाहर रहने वाले टाइगर(बाघों) की बेहतर निगरानी और संरक्षण के माध्यम से मानव-बाघ संघर्ष को कम करना है।

‘टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व्स’ (TOTR) पायलट योजना -

- भारत भर में बढ़ते मानव-बाघ संघर्षों के जवाब में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया।
- इसका लक्ष्य नामित बाघ अभयारण्यों के बाहर रहने वाली बाघ आबादी की सुरक्षा और प्रबंधन करना है।
- कुल व्यय: 2026-27 तक ₹88 करोड़।
- राष्ट्रीय CAMPA (प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण) की कार्यकारी समिति द्वारा सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित।

योजना के उद्देश्य -

- उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से निगरानी बढ़ाना।
- मानव-बाघ संघर्ष को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए वन कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना।
- नागरिक समाज संगठनों और विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों के साथ सहयोग करना।
- पशुधन पर बाघों के हमलों को कम करने के लिए शिकार आधार को मजबूत करना।

दायरा और कार्यान्वयन -

- उच्च संघर्ष वाले क्षेत्रों की पहचान करने वाले आंकड़ों के आधार पर 10 राज्यों के 80 वन प्रभागों का चयन किया गया।
- भारत की लगभग 30% बाघ आबादी बाघ अभयारण्यों के बाहर रहती है।
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के समन्वय से राज्यों के मुख्य वन्यजीव वार्डनों के नेतृत्व में कार्यान्वयन।
- CAMPA की अंतिम स्वीकृति के लिए संशोधित, वर्षवार वित्तीय अनुमान प्रस्तुत करना है।

संघर्ष के प्रमुख स्थानों की पहचान की गई -

- चंद्रपुर (महाराष्ट्र) - ताडोबा टाइगर रिजर्व के पास
- दुधवा और पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) - गन्ने के खेत
- रणथंभौर के निकट क्षेत्र (राजस्थान)
- वायनाड (केरल)

संघर्ष के आँकड़े (2020-2024) -

- बाघ से संबंधित घटनाओं में 382 मानव मौतें हुईं।
- अकेले 2022 में 111 मौतें, संरक्षित क्षेत्रों के बाहर संघर्ष शमन की तत्काल आवश्यकता को दर्शाती हैं।

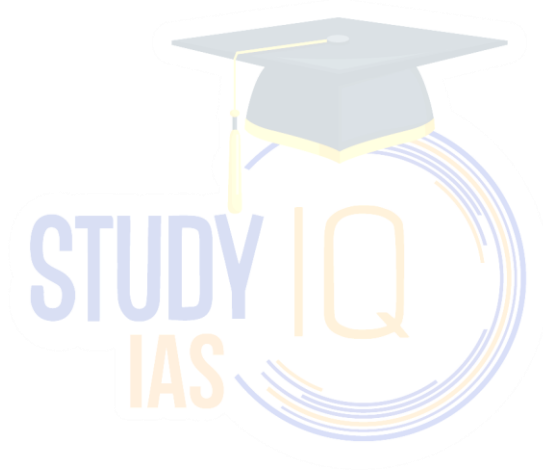
संस्थागत ढांचा -

- राष्ट्रीय CAMPA के माध्यम से वित्त पोषित, जो प्रतिपूरक वनरोपण के लिए एकत्रित धन का प्रबंधन करता है।
- प्रोजेक्ट चीता और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रिकवरी सहित इसी प्रकार के वन्यजीव कार्यक्रमों का समर्थन किया है।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मार्च 2025 की बैठक के दौरान इस योजना पर चर्चा की गई।

सरकारी प्रतिबद्धता -

- पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने भारत संरक्षण सम्मेलन में मानव-पशु संघर्ष को कम करने पर सरकार के फोकस की पुष्टि की।
- स्थानीय पारिस्थितिकी और सामाजिक गतिशीलता के अनुरूप क्षेत्र-विशिष्ट रणनीति की आवश्यकता पर बल दिया गया।
- सरकार की जमीनी स्तर पर सक्रियता के प्रमाण के रूप में दुधवा और काबिनी के साइट दौरों पर प्रकाश डाला गया।

स्रोत: [IndianExpress](https://www.indianexpress.com)



मतदाता सूचियों का “विशेष गहन पुनरीक्षण” (SIR)

संदर्भ

भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया है, जिसके तहत सभी मतदाताओं को फार्म जमा करने तथा 2003 के बाद बिहार में प्रवेश करने वालों को नागरिकता का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) क्या है?

- मतदाता सूचियों को अद्यतन और सत्यापित करने के लिए एक व्यापक, घर-घर जाकर सत्यापन प्रक्रिया।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) और संविधान के अनुच्छेद 324(1) द्वारा कानूनी रूप से समर्थित।
- उद्देश्य
 - अवैध अप्रवासियों सहित अयोग्य या डुप्लिकेट मतदाताओं को हटाना।
 - मतदाता सूची में केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के वास्तविक भारतीय नागरिकों के नाम शामिल हों।

इसकी आवश्यकता क्यों है?

- पिछले दो दशकों में बड़े पैमाने पर जोड़ और विलोपन।
- बढ़ते शहरीकरण और प्रवास के कारण बड़ी संख्या में मतदाता पंजीकरण हुए हैं।
- अवैध आप्रवासियों और जनसांख्यिकीय हेरफेर को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, खासकर बिहार जैसे सीमावर्ती राज्यों में।

प्रमुख विशेषताएँ -

- सभी मतदाताओं पर लागू है, तथा 2003 के बाद पंजीकृत मतदाताओं के लिए कड़ी जांच की जाएगी।
- गणना प्रपत्र और जन्म/नागरिकता का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

जन्म वर्ष के अनुसार दस्तावेज़ आवश्यकताएँ -

- **1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे:** स्वयं का जन्म दस्तावेज़ पर्याप्त है।
- **1987 और 2004 के बीच जन्मे:** व्यक्तिगत दस्तावेज़ + माता-पिता में से किसी एक का नागरिकता प्रमाण।
- **2004 के बाद जन्मे:** व्यक्तिगत दस्तावेज़ + माता-पिता दोनों की नागरिकता का प्रमाण।
- फॉर्म ECINET ऐप या आधिकारिक ECI वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं।

महत्व -

- मतदाता सूची की सटीकता और अखंडता को बढ़ाता है।
- चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास बढ़ता है।
- राष्ट्रव्यापी मतदाता सत्यापन पहल के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकता है।

स्रोत: [IndianExpress](https://www.indianexpress.com)

संपादकीय सारांश

भारत को व्यापक स्कूल मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों की आवश्यकता क्यों है?

संदर्भ

- भारत एक बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है, तथा हाल के अध्ययनों से पता चला है कि विशेष रूप से युवाओं में अवसाद, चिंता और व्यवहारगत व्यसनों की दर बहुत अधिक है।
 - विभिन्न नीतिगत हस्तक्षेपों और आत्महत्या दर में गिरावट के बावजूद, उपचार में महत्वपूर्ण अंतराल बना हुआ है।

भारत में मानसिक स्वास्थ्य का दायरा -

- **व्यापक प्रचलन:** राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2015-16) के अनुसार, भारत की लगभग 10.6% आबादी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रही है, तथा सर्वेक्षण के समय 13.7% लोग इससे प्रभावित थे।
 - हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि युवाओं में इसका प्रचलन अधिक है: 27% बच्चों/किशोरों में अवसाद पाया गया; 26% में चिंता विकार पाया गया।
 - छात्र आत्महत्या दरें चिंताजनक हैं, 2017 से 2022 तक इसमें 32% की वृद्धि हुई है।
 - व्यवहारगत व्यसन (इंटरनेट, सोशल मीडिया, गेमिंग) बढ़ रहे हैं, जो कुछ राज्यों में 40.7% छात्रों को प्रभावित कर रहे हैं।
- **विविध मुद्दे:** इनमें अवसाद, चिंता, आत्महत्या से लेकर इंटरनेट और प्रौद्योगिकी की लत, नींद की गड़बड़ी और पारिवारिक संघर्ष जैसी नई चिंताएं शामिल हैं।

भारत कहां तक पहुंच गया है?

- **आत्महत्या दर में कमी:** भारत की आत्महत्या दर प्रति 100,000 व्यक्तियों पर 19.1 (2000) से घटकर 12.9 (2019) हो गई है, जो कई विकसित देशों से आगे है।
- **नीतिगत हस्तक्षेप:** राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (1982 से), जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू हैं।
 - टेली-मानस हेल्पलाइन और स्कूल-आधारित हस्तक्षेप जैसी नई पहलें शुरू की जा रही हैं।

अंतराल कायम है -

- **उपचार अंतराल:** मनोरोग विकारों से पीड़ित 71% लोग उपचारित नहीं हो पाते (एनएमएचएस)।
- **कलंक और जागरूकता:** कलंक, जागरूकता की कमी और अपर्याप्त पहचान के कारण समय पर निदान और उपचार नहीं हो पाता, विशेषकर व्यवहारगत व्यसनों के मामले में।
- **सेवाओं में कमी:** स्कूल पाठ्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य का अपर्याप्त समावेश।
 - शैक्षिक संस्थानों और समुदायों में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी।
- **संसाधन आबंधन:** मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में कम निवेश, विशेष रूप से समुदाय और स्कूल स्तर पर।

स्कूलों का रणनीतिक महत्व क्यों है?

- **शीघ्र हस्तक्षेप:** स्कूल मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की शीघ्र पहचान कर सकते हैं, उनका समाधान कर सकते हैं और रोकथाम कर सकते हैं, विशेष रूप से कमजोर युवाओं में।
- **जोखिम कारकों पर प्रभाव:** स्कूल सामाजिक-भावनात्मक विकास को प्रभावित करते हैं, लचीलापन बनाने में मदद करते हैं, तथा बदमाशी और शैक्षणिक तनाव जैसे जोखिम कारकों का मुकाबला कर सकते हैं।
- **नीतिगत जोर:** विश्व स्वास्थ्य संगठन और वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य योजनाएं स्कूलों को आत्महत्या की रोकथाम, जागरूकता और कौशल विकास के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में उजागर करती हैं।

- **सामुदायिक प्रभाव:** स्कूल अभिभावकों और समुदायों को शामिल कर सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य साक्षरता को बढ़ा सकते हैं, और सहायता मांगने की आदत को खत्म कर सकते हैं।

कार्यान्वयन में प्रमुख रणनीतियाँ और कार्रवाई का आह्वान -

- **सेवाओं का एकीकरण:** डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य उपकरण (जैसे, टेली-मानस) को शामिल करना और स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड (एमएचएबी) स्थापित करना।
 - स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा और लचीलापन निर्माण को शामिल करना।
- **क्षमता निर्माण:** शिक्षकों, अभिभावकों, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शीघ्र पहचान और मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार के लिए प्रशिक्षित करना।
 - मनोविज्ञान/सामाजिक कार्य पाठ्यक्रमों में टेली-परामर्श कौशल को शामिल करना।
- **संरचनात्मक सुधार:** प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक मान्यता के लिए स्कूल मानसिक स्वास्थ्य ऑडिट को अनिवार्य बनाया जाए।
 - सेवाएं प्रदान करने और हितधारकों को प्रशिक्षित करने के लिए पेशेवरों के नेतृत्व में स्कूल परामर्शदाता टीमों का गठन करना।
- **समुदाय एवं मीडिया सहभागिता:** समाचार पत्रों, टीवी और डिजिटल प्लेटफार्मों पर नियमित मानसिक स्वास्थ्य कवरेज को प्रोत्साहित करना।
 - जागरूकता फैलाने और उपचार विकल्पों के बारे में जानकारी देने के लिए साप्ताहिक कार्यक्रम और संपादकीय चलाएँ।
- **विशेष कार्य बल:** स्कूल और छात्र मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित जिला-स्तरीय और राष्ट्रीय कार्य बलों की स्थापना करना।

मानसिक स्वास्थ्य में शैक्षिक नियामक निकायों की भूमिका -

- मानसिक स्वास्थ्य ऑडिट (प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक) अनिवार्य करना।
- मनोविज्ञान और सामाजिक कार्य पाठ्यक्रमों में टेली-परामर्श कौशल को एकीकृत करना।
- मानसिक स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड (एमएचएबी) की स्थापना (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के निर्देशों के अनुसार) लागू करना।
- मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के नेतृत्व में स्कूल परामर्शदाता टीमों के प्रशिक्षण और गठन को समर्थन देना।

निष्कर्ष

स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, बीमारी को रोकने और कलंक को कम करने के लिए व्यापक, स्कूल-आधारित मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम आवश्यक हैं। रणनीतिक कार्रवाई और मजबूत कार्यान्वयन के साथ, भारत अपने युवाओं और व्यापक समाज के लिए मानसिक स्वास्थ्य परिदृश्य को बदल सकता है।

स्रोत: [The Hindu](#)

चीन के नेतृत्व वाला त्रिपक्षीय गठजोड़ भारत के लिए नई चुनौती

संदर्भ

चीन ने हाल ही में कुनमिंग में पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ पहली त्रिपक्षीय बैठक की मेजबानी की, जिसे कुछ लोगों द्वारा चीन द्वारा पाकिस्तान को क्षेत्र में एक हितधारक बनाने तथा नई दिल्ली को तात्कालिक चिंताओं से अवगत कराने के प्रयास के रूप में देखा गया।

भारत और चीन के बीच बिगड़ते संबंध -

- **सीमा तनाव:** नियमित गतिरोध और हिंसक झड़पों (जैसे, गलवान 2020, डोकलाम 2017) ने संबंधों में खटास पैदा की है, जिससे विश्वास और कूटनीतिक जुड़ाव कम हुआ है।
- **व्यापार असंतुलन और प्रौद्योगिकी प्रतिद्वंद्विता:** लगातार व्यापार घाटा, चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध और चीनी निवेश की जांच ने टकराव को बढ़ा दिया है।
- **भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा:** क्वाड (अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) के साथ भारत का जुड़ाव, हिंद-प्रशांत पहल और अमेरिका के साथ गहरे संबंधों ने चीन की शंकाओं को बढ़ा दिया है।
- **कूटनीतिक असफलताएँ:** संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को नामित करने के भारत के प्रयास को चीन द्वारा अवरुद्ध करने तथा जम्मू-कश्मीर पर उसके रुख ने और अधिक मतभेद पैदा कर दिए हैं।
- **हालिया घटनाक्रम:** ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटनाओं के बाद चीन द्वारा पाकिस्तान को समर्थन देना तथा भारत के बिना त्रिपक्षीय बैठकों की मेजबानी करना, उसके रुख में आई कठोरता को दर्शाता है।

चीन कैसे पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अपना "प्लस वन" बना रहा है -

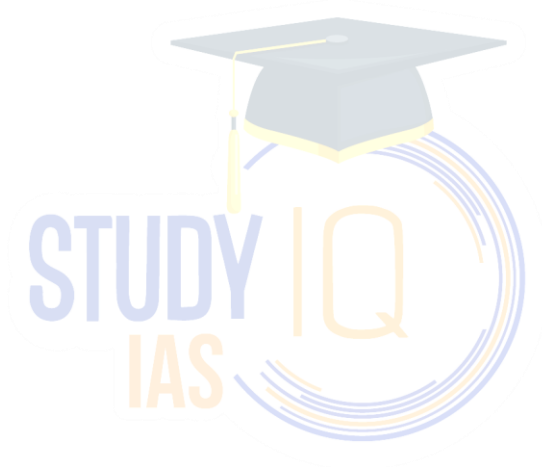
- **सामरिक गठबंधन:** 1962 के चीन-भारत युद्ध के बाद से, चीन ने पाकिस्तान को इस क्षेत्र में भारत को "बांधने" के लिए एक उपयोगी सहयोगी के रूप में देखा है।
- **आर्थिक और सैन्य सहायता:** पाकिस्तान का 80% से अधिक हथियार आयात चीन से होता है; पाकिस्तान पर चीन का 29 बिलियन डॉलर का ऋण बकाया है; CPEC (चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा) एक प्रमुख BRI परियोजना है।
- **कूटनीतिक ढाल:** चीन वैश्विक मंचों पर, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद के संबंध में पाकिस्तान को ढाल देता है।
- **त्रिपक्षीय बैठकें:** त्रिपक्षीय बैठकें (अफगानिस्तान, बांग्लादेश के साथ) आयोजित करके, चीन पाकिस्तान की क्षेत्रीय प्रासंगिकता को बढ़ाता है और भारत को घेरने या विचलित करने का लक्ष्य रखता है।
- **पिछले दरवाजे से प्रभाव:** चीन, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ऐतिहासिक संबंधों का लाभ उठाकर सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता है तथा भारत के लिए सुरक्षा संबंधी दुविधाएं पैदा करता है।

भारत की रणनीति ने चीन की क्षेत्रीय पकड़ को कैसे कम किया -

- **मजबूत सैन्य प्रतिक्रिया:** पाकिस्तान प्रायोजित हमलों (उरी, पुलवामा, पहलगाम) के प्रति भारत की आक्रामक जवाबी कार्रवाई और सीमावर्ती क्षेत्रों (गलवान, डोकलाम) की सक्रिय रक्षा ने विरोधियों की लागत बढ़ा दी है।
- **कूटनीतिक पहुंच:** भारत ने पाकिस्तान को अलग-थलग करने और रणनीतिक साझेदारी (क्वाड, आसियान, अमेरिका, यूरोप के साथ घनिष्ठ संबंध) बनाने के लिए अपने आर्थिक और कूटनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया है।
- **क्षेत्रीय सहभागिता:** भारत ने आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करके, राजनीतिक सीमाओं का सम्मान करके और विकासात्मक सहायता प्रदान करके श्रीलंका, मालदीव और नेपाल जैसे पड़ोसियों के साथ संबंधों को मजबूत किया है।

- **चीनी प्रभाव को सीमित करना:** चीन के BRI प्रयास के बावजूद, भारत की व्यावहारिक कूटनीति और आर्थिक सहायता ने श्रीलंका, मालदीव और नेपाल जैसे देशों को चीन पर अत्यधिक निर्भरता के प्रति सतर्क कर दिया है।
- **रेडलाइन बनाए रखना:** व्यापार, कूटनीतिक कदमों और सैन्य तैयारियों के माध्यम से भारत के स्पष्ट संकेत ने दक्षिण एशिया में चीन की गतिशीलता को बाधित किया है।
- **बहुआयामी दृष्टिकोण:** भारत सुरक्षा, अर्थशास्त्र और सॉफ्ट पावर को जोड़ता है, तथा चीन के दृष्टिकोण के लिए आकर्षक विकल्प प्रस्तुत करता है, विशेषकर तब जब क्षेत्रीय देश अपने हितों के लिए संबंधों में संतुलन बनाते हैं।

स्रोत: [The Hindu](#)



भारत ने सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन शासन में पिछड़ गया

संदर्भ

भारत को पहली बार सतत विकास रिपोर्ट में शीर्ष 100 देशों में स्थान दिया गया है। हालाँकि, अभी भी कुछ कमियाँ हैं जिन्हें भारत को पहचानना होगा और निरंतर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए उन्हें दूर करना होगा।

SDG प्रगति – सुधार और निरंतर अंतराल		
संकेतक (SDG)	सुधार के क्षेत्र	लगातार बनी हुई कमियाँ/चुनौतियाँ
SDG 1: गरीबी उन्मूलन	गरीबी में उल्लेखनीय कमी; 2012 से 2023 तक गरीबी लगभग आधी हो गई।	पुरानी गरीबी रेखा, नवीनतम उपभोग आँकड़ों का अभाव, आकलन विवाद।
SDG 2: शून्य भूखमरी	बौनेपन (38.4% से 35.5%) और दुर्बलता (21% से 19.3%) में मामूली कमी।	कुपोषण की उच्च दर, महत्वपूर्ण शहरी-ग्रामीण/पोषण असमानताएँ।
SDG 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा	लगभग सार्वभौमिक विद्युतीकरण प्राप्त किया गया; नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन) में मजबूत वृद्धि हुई।	आपूर्ति की गुणवत्ता और अवधि में भिन्नता, शहरी-ग्रामीण पहुँच अंतर।
SDG 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा	तीव्र मोबाइल पहुँच, यूपीआई/डिजिटल गेटवे के माध्यम से वित्तीय समावेशन।	- कोविड-19 के दौरान ग्रामीण-शहरी डिजिटल विभाजन उजागर हुआ, जिससे शिक्षा प्रभावित हुई (SDG 4)। - असमान शैक्षिक परिणाम, विशेषकर ग्रामीण एवं हाशिए पर स्थित क्षेत्रों में।
SDG 4: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा	कुछ क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी ढांचा और डिजिटल पहुँच।	
SDG 16: शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएँ	कुछ संस्थागत सुधार	शासन, कानून के शासन, प्रेस की स्वतंत्रता और स्वतंत्र संस्थाओं के मामले में पिछड़ापन।
मोटापा (स्वास्थ्य)	शहरी अमीरों के लिए बेहतर पोषण; कुछ स्वास्थ्य मापदंडों में सुधार।	कामकाजी आयु वर्ग की आबादी में मोटापा बढ़ रहा है, मुख्यतः धनी शहरी समूहों में।

क्या किया जाना चाहिए?

- डिजिटल ट्रेकिंग को एकीकृत करना:** पोषण, अनुपस्थिति, सीखने के परिणामों और स्वास्थ्य मैट्रिक्स की स्कूल-वार निगरानी के लिए जन-अमृत या पोषण अभियान जैसी प्रणालियों का उपयोग करना।
- प्राथमिक स्वास्थ्य अवसंरचना का उन्नयन:** केरल के आर्द्रम मॉडल का विस्तार करके अधिकाधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को मानसिक स्वास्थ्य और स्कूल संपर्क के साथ परिवार-केंद्रित क्लीनिकों में परिवर्तित करना।

- **स्थानीय शासन को मजबूत करना:** पारदर्शी निगरानी के लिए वास्तविक समय के आंकड़ों और डैशबोर्ड का उपयोग करते हुए पंचायत और जिला स्तर पर सतत विकास लक्ष्य उप-समितियों का गठन करना।
- **स्वास्थ्य-पोषण-स्वच्छता अभिसरण:** एसबीएम गांवों को स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं से जोड़ना ताकि बौनेपन और दस्त संबंधी बीमारियों का समग्र रूप से समाधान किया जा सके।
- **बाल कल्याण मॉडल तैयार करना:** बाल श्रम और ड्रॉप-आउट को खत्म करने के लिए झारखंड के बहु-एजेंसी समन्वय को अपनाएं, शिक्षा को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ें।
- **सार्वजनिक-निजी सहयोग को बढ़ावा देना:** सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में पहुंच और नवाचार का विस्तार करने के लिए एनजीओ, कॉरपोरेट और स्थानीय निकायों के साथ पोषण शैली के पीपीपी को बढ़ावा दें।
- **अंतर्राष्ट्रीय मार्गदर्शन का लाभ उठाना:** जमीनी स्तर पर जवाबदेही, क्षमता और रिपोर्टिंग तंत्र बनाने के लिए यूएनजीसीएनआई और आईएलओ समर्थित ढांचे का पालन करना।

स्रोत: [The Hindu](#)

